न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 103/2025
वादी :-

1. श्रवण कुमार पुत्र राम रख जाति विश्नोई निवासी लोलो क बास ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी - सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः- 16/03/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 114 रकबा 1.9740 हैक्टेयर, किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या नये 755 व पुराने 645 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार जयराम पुत्र सिमरथ हिस्सा 1/2, गंगाराम, हरलाल पिसरान मदाराम हिस्सा 1/2 के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 व मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में दर्ज थी। गंगाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 344 द्वारा गंगाराम के स्थान पर उसके पुत्र बींजाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। बींजाराम पुत्र गंगाराम व हरलाल पुत्र मदाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 25.11.1982 द्वारा वादी के दादा राणाराम को बैचान कर दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 574 स्वीकृत किया गया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 में प्रथम बार खरीदसुदा भूमि वादी के दादा राणाराम के नाम दर्ज की गयी, जो उसके बाद की जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048, जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2052, जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 व जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में लगातार दर्ज चलती रही। वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि के सहखातेदार जयराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 899 द्वारा जयराम के स्थान पर उनके वारिस वादी के दादाधपुत्र राणाराम, चौखाराम, बाबूलाल व पत्नी चुनीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में प्रथम बार दर्ज किया गया। उसके बाद की जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 व जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में लगातार दर्ज चलता रहा। जयराम फौत होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार जयराम के प्रत्येक वारिस को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/8 वां हिस्सा निहित हुआ। यानि जयराम के वारिस राणाराम को 1/8 वां हिस्सा, चौखाराम को 1/8 वां हिस्सा, बाबूलाल को 1/8 वां हिस्सा व चुनीदेवी को 1/8 वां हिस्सा निहित हुआ। जयराम का वारिस / पुत्र बाबूलाल फौत होने पर बाबूलाल का 1/8 वां हिस्सा उसके वारिस पुत्र अनिल, पुत्री शीला, आदित्या, अनिता व पत्नी भाणकी को निहित हुआ, जिसके अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबूलाल के वारिस पुत्र अनिल को 1/40 वां हिस्सा, पुत्री शीला को 1/40 वां हिस्सा, पुत्री आदित्या को 1/40 वां हिस्सा, पुत्री अनिता को 1/40 वां हिस्सा व पत्नी भाणकी को 1/40 वां हिस्सा निहित हुआ। इसी प्रकार जयराम का वारिस / पत्नी चुनी फौत होने पर चुनी का 1/8 वां हिस्सा उसके वारिस पुत्र उसके वारिस पुत्र राणाराम, चौखाराम, स्व. बाबूलाल के वारिस

अनिल, पुत्री शीला, आदित्या, अनिता व पत्नी भाणकी, पुत्रिया गवरी, मोहनी, छमिया को निहित हुआ, जिसके अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से चुनी के वारिस पुत्र राणाराम को 1/48 वां हिस्सा, चौखाराम को 1/48 वां हिस्सा, गवरी को 1/48 वां हिस्सा, मोहनी को 1/48 वां हिस्सा, छमिया को 1/48 वां हिस्सा तथा बाबूलाल के वारिस पुत्र अनिल को 1/240 वां हिस्सा, पुत्री शीला को 1/240 वां हिस्सा, पुत्री आदित्या को 1/240 वां हिस्सा, पुत्री अनिता को 1/240 वां हिस्सा व पत्नी भाणकी को 1/240 वां हिस्सा निहित हुआ। बाबूलाल का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1547 स्वीकृत किया गया व चुनी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1840 स्वीकृत किया गया। उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन का इन्द्राज प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में किया गया, परन्तु उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये बाबूलाल व चुनीदेवी के उपरोक्त वारिसान को हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज नही किया गया। जयराम की पुत्रिया गवरी ने अपना निहित 1/48 वां हिस्सा, मोहनी ने अपना निहित 1/48 वां हिस्सा व छमिया ने अपना निहित 1/48 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 द्वारा अपने भाई राणाराम, चोखाराम व भाई बाबूलाल के पुत्र अनिल को हकतर्क कर दिया तथा बाबूलाल की पुत्रिया अनिता ने अपने पिता से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/40 वां हिस्सा व अपनी दादी चुनी से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/240 वां हिस्सा, आदित्या ने अपने पिता से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/40 वां हिस्सा व अपनी दादी चुनी से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/240 वां हिस्सा व भाणकी ने अपने पति से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/40 वां हिस्सा व अपनी सासु चुनी से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/240 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 04.07.2011 व दिनांक 17.12.2012 द्वारा अपने भाई व पुत्र अनिल को हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1738, 1858 व 1859 स्वीकृत किया गया। म्यूटेशन संख्या 1738 व 1858 का इन्द्राज प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में किया गया परन्तु म्यूटेशन संख्या 1859 का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में नही किया गया। परन्तु उक्त दोनो म्यूटेशन संख्या 1738 व 1858 के जरिये हकतर्कनामा के आधार पर प्राप्त हिस्सा राणाराम, चौखाराम व अनिल के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज नही किया गया। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी के दादा राणाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 25.11.1982 के आधार पर खरीदसुदा 1/2 हिस्सा, जयराम फौत होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/8 वां हिस्सा, चुनी फौत होने पर जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/48 वां हिस्सा व जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 से प्राप्त 1/48 वां हिस्सा कुल 1/2 + 1/8+1/48+1/48 = 2/3 वां हिस्सा निहित हुआ। इसी प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से चौखाराम को जयराम फौत होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/8 वां हिस्सा, चुनी फौत होने पर जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/48 वां हिस्सा व जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 से प्राप्त 1/48 वां हिस्सा 1/8 + 1/48 +1/48 = 1/6 वां हिस्सा निहित हुआ। इसी प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबूलाल के पुत्र अनिल को उसके दादा जयराम व उसके पिता बाबूलाल फौत होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/40 वां हिस्सा, चुनी फौत होने पर जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/240 वां हिस्सा व जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 व हकतर्कनामा दिनांक 04.07.2011 से आदित्या से 1/40 वां हिस्सा व 1/240 वां हिस्सा, अनिता से 1/40 वां हिस्सा व 1/240 वाँ हिस्सा, भाणकी से 1/40 वां हिस्सा 1/240 वां हिस्सा व जयराम जी पुत्रिया गवरी, मोहनी व छमिया से 1/48 हिस्सा कुल 1/40+ 1/240+ 1/40+1/240+ 1/40+ 1/240+ 1/40+ 1/240+ 1/48 = 11/80 वां हिस्सा निहित हुआ। इसी प्रकार सम

वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबूलाल की पुत्र शीला को उसके दादा जयराम व उसके पिता बाबूलाल फौत होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/40 वां हिस्सा, चुनी फौत होने पर जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/240 वां हिस्सा कुल 1/40+ 1/240+ 1/240= 7/240 वां हिस्सा निहित हुआ। वादी के दादा राणाराम द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से निहित 2/3 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 15.06.2020 द्वारा वादी को बख्शीश कर दिया तथा बख्शीशनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 2415 स्वीकृत किया गया तथा वादी का बख्शीश से प्राप्त 2/3 हिस्सा म्यूटेशन संख्या 2415 के आधार पर प्रथम बार चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज किया गया, जो सही दर्ज किया गया। परन्तु चालु जमाबन्दी में सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबूलाल के पुत्र अनिल का निहित 11/80 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा व बाबूलाल की पुत्री शीला का निहित 7/240 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 व० हिस्सा गलत दर्ज किया गया। जिसकी जानकारी बाबूलाल के पुत्र अनिल को होने पर उसके द्वारा हिस्सा शुद्धि हेतु आवेदन हल्का पट्वारी को किया गया, जिसमें उसके द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पड़दादा जयराम जी की होना बताते हुए वादी का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/3 वां हिस्सा, अपनी बहन शीला का 7/120 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/3 वां हिस्सा व स्वयं का 11/40 वां हिस्सा बताते हुए उक्त आवेदन पर प्रतिवादी तहसीलदार बिलाड़ा से दिनांक 15.07.2021 को आदेश प्राप्त किया तथा प्रतिवादी तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 की पालना में शुद्धि पत्र संख्या 15 प्रतिवादी तहसीलदार बिलाडा द्वारा स्वीकृत किया गया तथा शुद्धि पत्र के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में यादी का 1/3 वां हिस्सा, शीला का 7/120 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/3 वां हिस्सा व अनिल का 11/40 वां हिस्सा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज किया गया। जबकि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में शुद्धि पत्र संख्या 15 में वर्णितानुसार हिस्सा वादी, शीला, चौखाराम व अनिल का नही बनता है, सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/6 वां हिस्सा, अनिल का 11/80 वां हिस्सा व शीला का 7/240 वां हिस्सा निहित व बनता है। इसलिए उक्त शुद्धि पत्र कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध है तथा कानूनन शुद्धि पत्रध्म्यूटेशन के आधार पर किसी भी खातेदार को न तो अधिकार प्राप्त होते है न ही उसके प्राप्त अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए उक्त शुद्धि पत्र के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/6 वां हिस्सा, अनिल का 11/80 वां हिस्सा व शीला का 7/240 वां हिस्सा समाप्त नही होता है। वादी को चालु जमाबन्दी में शुद्धि पत्र के जरिये वादी, चौखाराम, अनिल व शीला के उपरोक्त गलत हिस्सा दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2६3 व० हिस्सा, चौखाराम का 1/6 वां हिस्सा, अनिल का 11/80 वां हिस्सा व शीला का 7/240 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है अपितु श्रीमान सक्षम है। इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/6 वां हिस्सा, अनिल का 11/80 वां हिस्सा व शीला का 7/240 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी, चौखाराम, अनिल व शीला के सही/शुद्ध हिस्सा सम्बंध में व शुद्धि पत्र के जरिये दर्ज गलत हिस्सा के सम्बंध में सारणी वाद पत्र के साथ सलंग्न कर पेश है, जिसे वाद पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। वादकारण शुद्धि पत्र संख्या 15 के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी के 2/3 वां हिस्सा, चौखाराम के 1/6 वां हिस्सा, अनिल के 11/80 वां हिस्सा व शीला के 7/240 वां हिस्सा के स्थान पर गलत हिस्सा वादी का 1/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/3

वां हिस्सा, अनिल का 11/40 वां हिस्सा व शीला का 7/120 वां हिस्सा प्रतिवादी द्वारा दर्ज किये जाने से, जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/6 वां हिस्सा, अनिल का 11/80 वां हिस्सा व शीला का 7/240 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार करने पर कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही होने से अपितु श्रीमान सक्षम होने से बमुकाम ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 114 रकबा 1.9740 हैक्टेयर, किस्म बारानी तृतीय के राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में शुद्धि पत्र संख्या 15 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज वादी / श्रवण कुमार का 1/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/3 वां हिस्सा, अनिल का 11/40 वां हिस्सा व शीला का 7/120 वां हिस्सा के स्थान पर सही / शुद्ध हिस्सा वादी/श्रवण कुमार का 2/3 वां हिस्सा, चौखाराम का 1/6 वां हिस्सा, अनिल का 11/80 वां हिस्सा व शीला का 7/240 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हि. की भूमि के सहखातेदार जयराम का देहान्त होने पर जरिये नामा, करण संख्या 899 द्वारा जयराम के स्थान पर वारिस राणाराम, चौखाराम बाबूलाल, व पत्नि चुनीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 में दर्ज हुआ। तथा बाद जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 व जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में लगातार दर्ज चलता रहा। जयराम का देहान्त होने से हिन्दू उत्ताधिकार कानून के अनुसार जयराम के प्रत्यके वारिस को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/8 हि. निहित हुआ यानि जयराम के वारिस राणाराम को 1/8 हि. चौखाराम को 1/8 वा हि. बाबूलाल को 1/8 हि व चुनीदेवी को 1/8 हि. निहित हुआ। जयराम का वारिस के पुत्र बाबूलाल का देहान्त होने पर बाबूलाल का 1/8 हि. उसके वारिस पुत्र अनिल, पुत्री शीला, आदित्या, अनिता, व पत्नि भाणकी को निहित हुआ जिसके अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से बाबूलाल के वारिस पुत्र अनिल को 1/40 हि.पुत्री शीला को 1/40 हि. व पत्नि भाणकी को 1/40 वा हि. निहित हुआ। जयराम का वारिस पत्नि चुनी का देहान्त होने पर चुनी का 1/8 वा हि. उसके वारिस पुत्र उसके वारिस पुत्र राणाराम, चौखाराम, स्व. बाबूलाल के वारिस अनिल पुत्री शीला आदित्या अनिता व पत्नि भाणकी, पुत्रिया गवरी मोहनी छमिया को निहित हुआ। जिसके अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से चुनी के वारिस पुत्र राणाराम को 1/48 वा हि. चोखाराम को 1/48 हि. गवरी को 1/48 हि. मोहनी को 1/48 हि. छमिया को 1/48 हि. तथा बाबूलाल के वारिस पुत्र अनिल को 1/240 हि. पुत्री शीला को 1240 हि. पुत्री आदित्या को 1/240 हि. निहित हुआ। बाबूलाल का देहान्त होने पर जरिये नामा. करण संख्या 1547 स्वीकृत किया गया व चुनी का देहान्त होने पर विरासत नामा करण संख्या 1840 स्वीकृत किया गया। उक्त दोनो विरासत नामा करण म्यूटेशन का इन्द्राज प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में किया गया परन्तु उक्त दोनो विरासत नामा, करण जरिये बाबुलाल व चुनीदेवी के उपरोक्त वारिसान को हिन्दू उत्ताधिकार कानून के अनुसार उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हि. जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में दर्ज नहीं किया गया। जयराम की पुत्रिया गवरी ने अपना निहित हिस्सा 1/48 मोहनी ने अपना निहित 1/48 हि.व छमिया ने

अपना निहित 1/48 हि. जरिये रजिस्टर्ड हकर्तकनामा दि. 17.12.2012 द्वारा अपने भाई राणाराम, चौखाराम व भाई बाबूलाल के पुत्र अनिको हकतर्क कर दिया। बाबूलाल की पुत्रिया अनिता ने अपने पिता से जरिये उत्ताधिकार प्राप्त व निहित 1/40 हि. व अपनी दादीचुनी से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/240 हि. आदित्या ने अपने पिता से जरिये उतराधिकार प्राप्त निहित 1/40 हि. व अपनी दादी चुनी से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/240 हि. व भाणकी ने अपने पति से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त व निहित 1/40 हि. अपनी सासु चुनी से जरिये उतराधिकार प्राप्त व निहित 1/240 हि. जरिये हकतर्कनामा दि. 04.07.2011 व दिनांक 17.12.2012 द्वारा अपने भाई व पुत्र अनिल को हकतर्क कर दिया। तीनो हकतर्कनामा के आधार पर नामा.करण संख्या 1738, 1858 व 1859 स्वीकृम किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1738 व 1858 का इन्द्राज प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2008 में किया गया परन्तु नामा. करण संख्या 1859 का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में नहीं किया गया परन्तु उक्त दोनो नामा करण संख्या 1738 व 1858 के जरिये हकतर्कनाम के आधार पर प्राप्त हिस्सा राणाराम, चौखाराम व अनिल के नाम जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2008 में दर्ज नहीं किया गया हैं। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि भूमि मे से राणाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दि. 25.11.1982 के अधार पर खरीदशुदा 1/2 हि. जयराम का देहान्त होने से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/8 हि. चुनी फोत होने पर जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/48 हि. व जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 से प्राप्त 1/48 हि कुल 1/2+1/8+1/48+1/48=2/3 हि. निहित हुआ। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबुलाल के पुत्र अनिल को उसके दादा जयराम व उसके पिता बाबूलाल का देहान्त होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/40 हि चुनी फोत होने जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/240 हि.व जरिये जरिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 व हकतर्कनामा दिनांक 04.07.2011 से आदित्या से 1/40 हि.य 1/240 हि. अनिता से 1/40 हि. व 1/240 हि. भाणकी से 1/40 हि. व 1/240 हि. व जयराम की पुत्रिया गवरी, मोहनी व छमिया से 1/48 वा हि. कुल 1/48+/240+1/40+1/240+1/40+1/240 +1/40+ 1/240+1/48 हि. निहित हुआ। तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबूलाल की पुत्री शीला को उसके दादा जयराम व उसके पिता बाबुलाल का देहान्त होने से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/40 हि. चुनी फोत होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/240 हि 1/40+1/240+1/240=7/240 हि. निहित हुआ। राणाराम द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से निहित 2/3 हि. जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 15.06.2020 द्वारा वादी को बख्शीश कर दिया तथा बख्शीशनामा के आधार पर नामा.करण 2415 स्वीकृत किया गया तथा वादी का बख्शीश से प्राप्त 2/3 हि. नामा. करण संख्या 2415 के आधार पर प्रथम बार वर्तमान चालू जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में दर्ज किया गया जो सही दर्ज किया गया परन्तु चालू जमाबन्दी में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से बाबुलाल के पुत्र अनिल का निहित 11/80 हि. के स्थान पर 1/12 वा हिस्सा व बाबुलाल की पुत्री शीला का निहित 7/240 हि. के स्थान पर 1/12 हि. गलत दर्ज किया गया। बाबूलाल के पुत्र अनिल द्वारा हिस्सा शुद्धि हेतु आवेदन तत्कालीन हल्का पटवारी को किया गया जिसमें उसके द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि जयराम की होने बताते हुए वादी का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/3 हि. अपनी बहन शीला का 7/120 हि. चौखराम का 1/3 हि. व स्वयं का 11/40 हि. बताते हुए उक्त आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा से दिनांक 15.07.2021 को आदेश प्राप्त किया तथा परित आदेश दिनांक 15.07.2021 की पालना में शुद्धि पत्र संख्या 15 स्वीकृत किया गया तथा शुद्धि पत्र के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/3 हि. शीला का 7/120 हि. चौखाराम का 1/3 हि. व अनिल का 11/40 हि. चालू जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में दर्ज किया गया जबकि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि

में शुद्धि पत्र संख्या 15 में वर्णितानुसार हि. वादी शीला चौखाराम व अनिल का नही बनता हैं सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 हि. चौखाराम का 1/6 हि. व अनिल का 11/80 हि. व शीला का 7/240 हि. निहित बनता हैं इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 हि. हि. चौखारा 1/6 हि. अनिल का 11/80 हि. व शीला का 7/240 हि. दुरूस्त किया जाना उचित हैं।

अतः हल्का पटवारी लाम्बा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लाम्बा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खसरा संख्या 114 रकबा 1.9740 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम शुद्धि पत्र संख्या 15 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज वादी श्रवणकुमार का 1/3 हि. चौखाराम का 1/3 हि. अनिल का 11/40 हि. शीला का 7/120 हि. के स्थान पर शुद्ध हिस्सा वादी श्रवणकुमार का 2/3 हि. चौखाराम का 1/6 हि. अनिल का 11/80 हि. व शीला का 7/240 हिस्से राजस्व रेकार्ड में शुद्ध किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं हैं। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र श्रवण कुमार पुत्र राम रख जाति विश्नोई का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खसरा नम्बर 114 ग्राम लाम्बा , प्रदर्श 2 म्यूटेशन सं. 574 ग्राम लाम्बा, प्रदर्श 3 म्यूटेशन सं. 1738 ग्राम लाम्बा की प्रति, प्रदर्श 4 रजिस्टर्ड बैचाननामा बीजाराम, हरलाल बहक राणाराम की प्रति, प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड बख्शीशनामा राणाराम बहक श्रवण कुमार की प्रति, प्रदर्श 6 वादी का आधारकार्ड, प्रदर्श 7 म्यूटेशन सं. 1858 ग्राम लाम्बा की प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 114 में पूर्व खातेदार जयराम वल्द सिमरथ 1/2 व ग़ंगाराम व हरलाल पि. मादा 1/2 कौम विश्नोई सा.देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था जिसकी पुष्टि ख़तौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 से की गई। खातेदार गंगाराम के फौत होने से जरिये नामान्तरकरण सं. 344 बींजाराम पुत्र गंगाराम दर्ज हुआ। राजस्व जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में खातेदार जयराम पुत्र सिमरथराम 1/2 हि. व राणाराम पुत्र जयराम 1/2 हिस्सा कौम विश्नोई के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ, उक्त जमाबंदी में राणाराम पुत्र जयराम 1/2 का नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 574 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। सहखातेदार जयराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 899 द्वारा सहखातेदार जयराम के स्थान पर उनके वारिसान राणाराम 1/8 हिस्सा, चौखाराम 1/8 हिस्सा, बाबूलाल 1/8 हिस्सा व पत्नी चुनीदेवी 1/8 हिस्सा का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2065-2068 में राणाराम, चौखाराम, बाबूलाल पि. जयराम, चुनी बेवा जयराम 1/2, राणाराम पुत्र जयराम 1/2 हि. जाति विश्नोई सा.देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थे। उसके पश्चात् खातेदार बाबूलाल का देहान्त होने पर बाबूलाल के स्थान पर उनके वारिसान अनिल पुत्र बाबुलाल 1/40 हिस्सा, शीला आदित्या अनिता पुत्रियां बाबुलाल प्रत्येक का 1/40 हिस्सा व भाणकी पत्नी बाबुलाल 1/40 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण सं. 1547 के तहत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इसी प्रकार खातेदार अनिता, आदित्या पुत्रियां बाबुलाल व भाणकी पत्नी बाबुलाल ने अपने

हिस्से को जरिये हकतर्कनामा अपने भाई/पुत्र अनिल के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण सं. 1738 से की गई। इसी प्रकार खातेदार चुनी देवी के देहान्त होने पर चुनी देवी के स्थान पर उसके वारिसान राणाराम 1/48 हिस्सा, चौखाराम 1/48 हिस्सा, स्व. बाबुलाल (1/48 हिस्सा) के वारिस अनिल पुत्री शीला आदित्या अनिता व पत्नी भाणकी, गवरी मोहनी छमिया पुत्रियां चुनी देवी प्रत्येक 1/48 हिस्सा के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 1840 से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। इसी प्रकार खातेदार जयराम की पुत्रियां गवरी, मोहनी व छमिया प्रत्येक ने अपना 1/48 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 द्वारा अपने भाई राणाराम, चौखाराम, व भाई बाबुलाल के पुत्र अनिल को हकतर्क कर दिया गया, जिसकी पुष्टि नामान्तकरण सं. 1858 से की गई। नामान्तरकरण संख्या 1738 व 1858 का इन्द्राज प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2008 में किया गया । उक्त दोनो नामा करण संख्या 1738 व 1858 के जरिये हकतर्कनामा के आधार पर प्राप्त हिस्सा राणाराम, चौखाराम पिसरान जयराम तथा अनिल पुत्र बाबुलाल व शीला पुत्री बाबुलाल के नाम जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में दर्ज किया गया हैं। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि भूमि मे से राणाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दि. 25.11.1982 के आधार पर खरीदशुदा 1/2 हि. जयराम का देहान्त होने से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त ,1/8 हि. चुनी फोत होने पर जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/48 हि. व जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 से प्राप्त 1/48 हि कुल 1/2+1/8+1/48+1/48=2/3 हि. निहित हुआ। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबुलाल के पुत्र अनिल को उसके दादा जयराम व उसके पिता बाबूलाल का देहान्त होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/40 हि चुनी फोत होने जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/240 हि.व जरिये जरिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 17.12.2012 व हकतर्कनामा दिनांक 04.07.2011 से आदित्या से 1/40 हि.य 1/240 हि. अनिता से 1/40 हि. व 1/240 हि. भाणकी से 1/40 हि. व 1/240 हि. व जयराम की पुत्रिया गवरी, मोहनी व छमिया से 1/48 वा हि. कुल 1/48+1/240+1/40+1/240+1/40+1/240+1/40+1/240+1/40= 11/80 हि. निहित हुआ। तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से बाबूलाल की पुत्री शीला को उसके दादा जयराम व उसके पिता बाबुलाल का देहान्त होने से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त 1/40 हि., चुनी फोत होने से जरिये उतराधिकार प्राप्त 1/240 हि 1/40+1/240=7/240 हि. निहित हुआ। खातेदार राणाराम द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से निहित 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 15.6.2020 द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न बक्शीशनामा से की गई। उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण सं. 2415 स्वीकृत किया गया जो शामिल पत्रावली है। चालू जमाबन्दी में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से बाबुलाल के पुत्र अनिल का निहित 11/80 हि. के स्थान पर 1/12 वा हिस्सा व बाबुलाल की पुत्री शीला का निहित 7/240 हि. के स्थान पर 1/12 हि. गलत दर्ज किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 की पालना में शुद्धि पत्र सं. 15 स्वीकृत किया गया। उक्त शुद्धि पत्र के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/3 हि., शीला का 7/120 हि. चौखाराम का 1/3 हि. व अनिल का 11/40 हि. चालू जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में दर्ज किया गया जबकि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में शुद्धि पत्र संख्या 15 में वर्णितानुसार हि. वादी शीला चौखाराम व अनिल का नहीं बनता हैं। इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी का 2/3 हिस्सा, अनिल का 11/80 हिस्सा, शीला का 7/240 हिस्सा तथा चौखाराम का 1/6 हिस्सा दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा वादी के पक्ष शुद्धि किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम लाम्बा के खसरा

नंबर 114 रकबा 1.9740 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम शुद्धि पत्र 15 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज वादी श्रवणकुमार का 1/3 हिस्सा, चौखाराम का 1/3 हिस्सा, अनिल का 11/40 हिस्सा, शीला का 7/120 हिस्सा के स्थान पर शुद्ध हिस्सा वादी श्रवणकुमार का 2/3 हिस्सा, चौखाराम का 1/6 हिस्सा, अनिल का 11/80 हिस्सा व शीला का 7/240 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/03/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- श्रवण कुमार **बनाम** **प्रतिवादीगण :-** सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- **103/2025**

निर्णय **दिनांक :-** 16/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम लाम्बा के खसरा नंबर 114 रकबा 1.9740 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम शुद्धि पत्र 15 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज वादी श्रवणकुमार का 1/3 हिस्सा, चौखाराम का 1/3 हिस्सा, अनिल का 11/40 हिस्सा, शीला का 7/120 हिस्सा के स्थान पर शुद्ध हिस्सा वादी श्रवणकुमार का 2/3 हिस्सा, चौखाराम का 1/6 हिस्सा, अनिल का 11/80 हिस्सा व शीला का 7/240 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा